FC 250108

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 08 जनवरी, 2025 का कार्यवृत्त।

लखनऊ विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक आज दिनांक 08 जनवरी, 2025 को अपराहन 1:00 बजे प्रशासनिक भवन स्थित मंथन कक्ष में आहूत की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे:–

1.	प्रो0 आलोक कुमार राय	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 मनुका खन्ना,	प्रति–कुलपति	अनुपस्थित
3.	श्री विवेक कुमार सिंह	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल, लखनऊ प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4.	श्री एस. पी. मिश्र,	उप–सचिव उच्च शिक्षा, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, उ0शि0 उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5.	श्री विद्यानन्द त्रिपाठी,	परीक्षा नियंत्रक / कुलसचिव	सदस्य
6.	श्रीमती हिमानी चौधरी	वित्त अधिकारी	सदस्य सचिव

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 08 अगस्त, 2024 की अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसपर समिति द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या के अन्य बिन्दु संख्या–1, जिसमें श्रीमती शशि प्रभा तिवारी, उप–कुलसचिव की पूर्व विभाग में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा में जोड़े जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया था, को छोड़कर अन्य सभी बिन्दुओं पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस बिन्दु पर पुनर्विचार करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–02

कुलसचिव कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जोकि बायो–कमेस्ट्री विभाग में 01 प्रयोगशाला सहायक एवं 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा–प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से किये जाने एवं उसका भुगतान विभाग में चल रहे एम.एस.सी. बायोटक्नोलॉजी स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की आय से किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पुनर्विचार हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–03

लखनऊ विश्वविद्यालय में उप–कुलसचिव के पद पर कार्यरत श्री प्रमोद कुमार मिश्र की पूर्व विभाग में की गयी सेवा को वर्तमान सेवा में जोड़े जाने से सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1290 / सत्तर–4–2024 दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के क्रम में श्री मिश्र उप–कुलसचिव का वेतन पूर्व विभाग में आहरित रू0 50,500 / – दिनांक 13.10.2020 से संरक्षित किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा इस प्रकरण पर शासन से अनुमति प्राप्त करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–04

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में अभियांत्रिकीय संकाय, में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को जुलाई, 2023 के बाद प्रतिवर्ष वेतनवृद्धि दिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव विचार–विमर्श हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा कुलसचिव के आदेश संख्या टी–24610–15 दिनांक 28.10.2023 की पुनः समीक्षा कर ऐसे शिक्षक जो 01 जुलाई, 2025 को 03 वर्ष एवं 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों एवं पूर्व में उनको इसका लाभ न मिला हो, उनके (नियत वेतन) में निम्नवत् बढ़ोत्तरी करने हेतु समिति द्वारा अनुमति प्रदान की गयी:–

1. ऐसे शिक्षक जो 01 जुलाई, 2025 तक 03 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके हों, उन्हें 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त वार्षिक वेतन बढ़ोत्तरी अनुमन्य की जाए।
2. ऐसे शिक्षक जो 01 जुलाई, 2025 तक 05 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके हों, उन्हें 3 प्रतिशत की दर से 02 अतिरिक्त वार्षिक वेतन बढ़ोत्तरी अनुमन्य की जाए।

बिन्दु संख्या–05

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अन्तर्गत B.Tech., BBA and BCA हेतु विदेशी छात्र/छात्राओं से लिए जाने वाले शुल्क को निम्नवत् संशोधित करते हेतु मा0 कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 19.04.2024 को सहर्ष स्वकृति प्रदान की गयी है, जिसके कम में कुलसचिव द्वारा निर्गत आदेश संख्या आर/282–293 दिनांक 22.04.2024 पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतः–

Name of Programme	Exiting Fee	Proposed Revised Fee
B.Tech.	US Dollar 2500 per semester	US Dollor 1500 per semester
B.B.A	US Dollar 2300 per semester	US Dollor 1200 per semester
B.C.A.	US Dollar 2300 per semester	US Dollor 1200 per semester

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा इस शर्त के साथ कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाता है कि विभाग पुनः इसकी समीक्षा कर ले, यदि कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो उक्त संशोधन के साथ वित्त समिति की अगली बैठक में संशोधन कराए जाने पर अनुमति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या–06

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में विधि पंचवर्षीय स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत मौखिक विषयों के लिए नियुक्त अधिवक्ता, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्नवत् भुगतान कराए जाने सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार–विमर्शः–

1	16 अधिवक्ता	रू0 10000/– प्रति अधिवकता	1,60,000/–
2	वाहय एवं आन्तरिक परीक्षक	रू0 2000/– प्रति परीक्षक	32,000/–
3	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	नियमानुसार अनुमन्य दर	16,000/–
4	स्वल्पाहार	रू0 2000/– प्रति मौखिक परीक्षा	32,000/–
5	स्टेशनरी एवं प्रिन्टिग सामग्री	–	60,000/–

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा शासनादेश में अनुमन्य दरों के अनुसार भुगतान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–07

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के स्टाफ क्लब में परिचर के पद पर कार्यरत बब्लू को दैनिक वेतन की दर पर दिनांक 01.02.2019 से भुगतान सम्बन्धी प्रकरण पर वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.03.2022 के बिन्दु संख्या 06 में लिए गये निर्णय के आलोक में प्रकरण पर पुनः परीक्षण हेतु मा0 कुलपति के अनुमोदन के कम में कार्यालय ज्ञाप संख्या पी/19490 दिनांक 12.10.2022 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 21.02.2024 की आख्या रिपोर्ट दिनांक 01 जुलाई, 2024 को आयोजित वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसपर समिति द्वारा रिपोर्ट में प्रस्तुत सस्तुतियों के आधार पर पर कार्यवाही किये जाने की अनुमति प्रदान की जा चुकी थी, प्रकरण पुनः समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा पूर्ण विवरण/पत्रावली के साथ वित्त समिति अगली बैठक प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या–08

श्री संदीप कुमार अवस्थी कनिष्ठ सहायक, वाणिज्य संकाय के दिसम्बर, 2024 से चतुर्थ श्रेणी के वेतनमान अवशेष का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन दिनांक 08.01.2024 के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप संख्या पी–782–88 दिनांक 10.01.2024 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 24.12.2024 की संस्तुति के कम में श्री संदीप कुमार अवस्थी को निर्गत कार्यालय पत्र संख्या 23312–14 दिनांक 24.12.2004 द्वारा दिसम्बर, 2004 से प्रदान किये गये चतुर्थ श्रेणी के वेतनमान का वित्तीय लाभ (अवशेष की सुविधा उनके कनिष्ठ सहायक के पद पर विनियमित होने की तिथि दिनांक 11.12.2019 के पूर्व दिनांक 10.12.2019 तक) प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत गया, जिसपर समिति द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर समिति द्वारा प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–09

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में कार्यरत शिक्षकों/अधिकारियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेश सुविधा (प्रतिवर्ष रू0 4.00 लाख) प्रदान किये जाने विषयक गठित समिति की रिपार्ट, जिसमें प्रथम वर्ष स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को प्रथम किश्त के रूप रू0 1,18,00,000/ (जी.एस.टी. सहित) दिये जाने से सम्बन्धित है, समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–10

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के समाज शास्त्र विभाग में संचालित राम मनोहर लोहिया शोधपीठ हेतु तैयार किये गये वित्तीय वर्ष 2024–25 का बजट वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

अन्य बिन्दु

अन्य बिन्दु संख्या–1

लखनऊ विश्वविद्यालय में भूगोल पाठ्यक्रम को नियमित किये जाने के उपरान्त शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कार्मिको पर आने वाला व्यय–भार वित्त समिति के समक्ष दिनांक 08 अगस्त, 2024 को बिन्दु संख्या 05 पर प्रस्तुत किया गया, निर्णयानुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था, जिसपर शासन द्वारा पत्र संख्या 977/सत्तर–4–2024–70–1099/301/2023 के द्वारा निम्नानुसार व्ययभार के वहन की स्थिति के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करनें हेतु आख्या मॉगी है। जो वित्त समिति के अन्य बिन्दु संख्या–1 पर प्रस्तुत है:–

शैक्षणिक पदों पर व्यय–भार

Name of Post	No. of Post	Basic	DA	HRA	Total	Annual	Total
Professor	1	144200	72100	16400	237200	2792400	2792400
Associate Prof.	2	131400	65700	14560	211660	2539920	5079840
Asstt. Professor	4	57700	28850	6300	92850	1114200	4456800
Total							**1,23,29,040**

गैर शैक्षणिक पदों पर व्यय भार

Name of Post	No. of Post	Basic	DA	HRA	Total	Annual
Jr. Assistant	01	21700	10850	2400	34950	419400
Computer Operator	01	35400	17700	4040	57140	685680
Library Asstt.	01	29200	14600	3340	47140	565680
Lab Bearer	01	18000	9000	2200	29200	350400
Peon	01	18000	9000	2200	29200	350400
Safai Karmchari	01	18000	9000	2200	29200	350400
Total						**27,21,960**

शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों पर पड़ने वाला व्यय भार कुल रू0 1,50,51,000/–

उक्तानुसार प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा, शासन द्वारा की गयी पृच्छा के अनुसार शासन को आख्या प्राप्त करायी जाए, कि पदों के सृजन पर आने वाले व्ययभार को अन्य नियमित पाठ्यकमों के पदों पर होने वाले व्ययभार की भॉति विश्वविद्यालय में होने वाली आय के माध्यम से किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–02

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ समाज कार्य विभाग में स्ववित्त पोषित पाठ्यकमों के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यकमों में संविदा पर कार्यरत 07 शिक्षकों को यू.जी.सी. के अनुरूप वेतन रू0 57,700/– प्रतिमाह दिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार–विमर्श:–

शिक्षकों का विवरण निम्नवत् है:–

कम सं0	शिक्षकों का नाम	विषय	वेतन
1	डा0 रजनीश कुमार यादव	समाज कार्य	रू0 50,000/–
2	डा0 शिखा सिंह	समाज कार्य	रू0 50,000/–
3	डा0 गरिमा सिंह	जनसंख्या अध्ययन	रू0 50,000/–
4	डा0 सध्या यादव	जनसंख्या अध्ययन	रू0 50,000/–
5	डा0 ओमेन्द्र कुमार यादव	अपराध शास्त्र एवं आपराधिक न्याय प्रशासन।	रू0 50,000/–
6	डा0 रणविजय सिंह	अपराध शास्त्र एवं आपराधिक न्याय प्रशासन।	35,000/–
7	डा0 शैलजा भारती	जन स्वास्थ्य (समुदायिक चिकित्सा)	35,000/–

उक्तानुसार प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सैधांतिक सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी, कि इसे वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट में बजटीय प्राविधान के साथ वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत कराएं।

अन्य बिन्दु संख्या–03

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वितीय परिसर स्थित इंस्टीड्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल सांइसेज, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में फार्म. डी. और फार्म.डी (पी.बी.) के नाम से नये कोर्स प्रारम्भ किये जाने हेतु निदेशक, इंस्टीड्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल सांइसेज द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जो वित्त समिति की बैठक दिनांक 08 अगस्त, 2024 के समक्ष प्रस्तुत किया गया, समिति द्वारा इस वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये थे, तत्क्रम में पुनः पस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा नये कोर्स प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर जो कमेटी अनुमन्य है उसके माध्यम से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त कर तत्पश्चात् अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(हिमान्शी चौधरी)
वित्त अधिकारी

(विद्यानन्द त्रिपाठी)
परीक्षा नियंत्रक / कुलसचिव

(एस. पी. मिश्र)
उप–सचिव उच्च शिक्षा,
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, उ0शि0
उ0प्र0 शासन।

(विवेक कुमार सिंह)
अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उ0प्र0 शासन।

(प्रो0 आलोक कुमार राय)
कुलपति